

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

गोपाल बनाम छोटी भादि (5)
 किस्म मुकदमा दावा (53,100) मु.नं. 244. वर्ष 2025

| दिनांक | आज्ञा - पत्र |
|----------------------------------|---|
| 15 ¹² / ₂₅ | <p>पत्रावली माननीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां से निर्णय दिनांक 10.12.2025 की सत्यापित प्रति के साथ प्राप्त हुई। उक्त निर्णय दिनांक 10.12.2025 के अनुसार अपील सं. 160/2025 उनवान संतरा देवी उर्फ संतोष देवी बनाम गोपाल आदि न्यायालय हाजा के प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 07.02.2025 के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझकर अपीलांत की उक्त अपील को खारिज की जाकर प्रति प्रेषित किया गया है।</p> <p>अतः पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर हों। पत्रावली वास्ते सूचित होने उभयपक्षकारान दिनांक 23.12.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर</p> |
| 23/12/25 | <p>पत्रावली के डिक्री वकील उभयपक्ष उपीलांत प्रेषित हुई पत्रावली वास्ते प्रेषित हों उक्त दिनांक 21/12 को केले गये</p> |
| 26 ¹² / ₂₅ | <p>पत्रावली में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राम. अममेर के पत्रांत 19347 दि. 24.12.2025 के द्वारा तलब करने हेतु प्राप्त पत्र की पालना में पत्रावली धाम पेशी में ली गई। वकील अममम रूप. अतः प्राप्त इस्त तलबी हेतु पत्र-पत्र की पालना में तत्काल पत्रावली को माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राम. अममेर के यहाँ भिजवाई जाती है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर</p> |



Noted
 Yours
 [Signature]

P.D. के F.D
 जारी करने में प्रयत्न
 गी. को कोई कम्प्ले
 नहीं है
 [Signature]

उपखण्ड अधिकारी
 10 की ओर के
 P.D. के F.D जारी
 करने में कोई आपत्ति
 नहीं है
 Jaypal